प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 05 सितम्बर, 2022

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) (लघु निर्माण कार्य) मद में निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजना मद के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–434/प्र0अ0/बजट/बी–1(सामान्य), दिनांक 30.08.2022 एवं पत्र संख्या–397/प्र0अ0/बजट/बी–1(सामान्य), दिनांक 01.08.2022 एवं पत्र संख्या–359/प्र0अ0/बजट/बी–1(सामान्य), दिनांक 11.07.2022 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) (लघु निर्माण कार्य) मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजना निर्माण के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजना के अवशेष कार्यों हेतु रू0 93.33 लाख (रूपये तिरानवे लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि, योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1882/II(02)/2022–04(147)/2021, दिनांक 07.01.2022, शासनादेश संख्या–1855/II(02)/2022–04(178)/2021, दिनांक 06.01.2022, शासनादेश संख्या–1709/II(02)/2021–04(48)/2021, दिनांक 31.12.2021, शासनादेश संख्या–1528/II(02)/ 2021–04(147)/2021, दिनांक 28.12.2021 एवं शासनादेश संख्या–1589/II(02)/2021– 03(39)/2013, दिनांक 29.10.2021 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

3– योजना पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि को योजनावार फांट कर आवश्यकतानुसार आवंटित किया जायेगा।

4– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2711–01–103–02–00–52 के नामे डाला जायेगा।

/60540/2022

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236 / XXVII(1) / 2022 / 09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एव शासनादेश संख्या–391 / 09(150)2019 / XXVII(1) / 2022, दिनांक 24 जून, 2022 में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– **Allotment ID**

भवदीय,
Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 02-09-2022 19:40:24

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 05-09-2022 10:57:07

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।